न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 49 / 2018

प्रार्थीगण –

1 मुकेश कुमार भारद्वाज पुत्र अमृतलाल जाति भारद्वाज

2 सूर्यप्रकाश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जोशी, जाति ब्राह्मण, निवासीगण जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थी – जिला औद्योगिक अधिकारी, बालोतरा / बाड़मेर

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टैनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण – 1 श्री करणसिंह सोलंकी प्रार्थीगण सहित

आदेश   दिनांक – 13.07.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत की भूमि के बदिशा उत्तर–पश्चिम में कटाण रास्ता खसरा न0 1144 / 283 में आया हुआ है, इसलिये प्रार्थीगण सं. 01 अपने खातेदारी खेत खसरा न0 2204 / 360, व प्रार्थीगण सं. 02 अपने खातेदारी खेत खसरा न0 2205 / 360 से कटाण मार्ग खसरा न0 1144 / 283 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा न0 1166 / 361 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु मौजा मंडापुरा में संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शायेनुसार आवागमन हेतु रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किया गया । अतः विप्रार्थी का जवाब देने का अवसर बंद किया गया । तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व / 2019 / 1082 दिनांक 25.09.2019 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा मंडापुरा में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि मौजा मंडापुरा के खसरा न0 2204 / [illegible] रकबा 01.84.35 बीघा [illegible] प्रत्येक खसरे की राजस्व [illegible] भूमि कटाण रास्ता खसरा नम्बर 1144 / [illegible] द्वारा खसरा नम्बर 1166 / 361 रकबा 28.02 बीघा भूमि में से [illegible] जाता है, उक्त भूमि [illegible] में जिला औद्योगिक अधिकारी बालोतरा के नाम दर्ज है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

PTO (2)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:29:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नही है । प्रस्तावित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी०एल०सी० दर 185200/ रूपये प्रति बीघा है। 30 फीट चौडे रास्ते हेतु उक्त भूमि का कुल रकबा 04 बिस्वा 11 बिस्वांसी बनता है।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा मंडापुरा के खेत खसरा न0 1166/361 जो पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा कुल रकबा 04 बिस्वासी 11 बिस्वांसी है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकर्ड से जांच की गई जिसके अनुसार मौजा मंडापुरा के खसरा संख्या 1144/283 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्राथी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1166/361 से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।इस संबध में संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(62) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के खेत खसरा न0 2204/360, 2205/360 रकबा 01.04.05 बीघा, 01.04.05 बीघा भूमि मौजा मंडापुरा पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1166/361 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि 30 फीट चौडे रास्ते हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 185200/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार 30 फीट चौडे रास्ते हेतु 04 बिस्वा 11 बिस्वांसी भूमि की राशि 42133/– रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 84266/– रूपये राजकोष में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय का अभिन्न भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:29:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 13.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner